Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding Employees Contributory Pension Scheme, 1995.

श्री श्यामा चरण गुप्त (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 1995 के कल्याण एवं मानसिक यंत्रणा आर्थिक हानि के साथ समाज में अपमान एवं हंसी के पात्र होने के कारण उक्त योजना में संशोधन हेतु तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। ईपीएस-95 में मिलने वाला लाभ पेंशन न होकर अंशदान का ब्याज है। यह पेंशन मूल्य सूचनांक पर आधारित होनी चाहिए। जैसे कि अन्य सरकारी पेंशन में व्यवस्था होती है।

ईपीएस-95 दोहरा मापदंड रखती है। सरकारी पेंशन योजना में कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् आश्रित की पेंशन आधी हो जाती है। अंशदायी पेंशन योजना में इसे आधा करना अनुचित है क्योंकि इस योजना में अंशदान कर्मचारी से किया जाता है। यह अतार्किक है। यदि कर्मचारी इस पेंशन योजना के स्थान पर स्वयं किसी अन्य योजना में उतनी धनराशि लगाता है तो उसे उतनी ही धनराशि प्राप्त होती है, जितनी उसे इस योजना से प्राप्त होती है। सरकारी पेंशनरों को सीजीएचएस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है जबकि ईपीएस-95 में नहीं है। ईपीएस-95 के तहत पालघाट में अधिकांश कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत के वास्तविक अंशदान के आधार पर पेंशन का लाभ कोर्ट के आधार पर दिया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मुख्य भविष्य निधि आयुक्त द्वारा 23.03.2017 का एक परिपत्र 31 मार्च, 2017 को पुन: सीपीएफसी द्वारा आया जिसमें अपने ही आदेश को काटते हुए एग्जेम्प्टिड और अनएग्जेम्प्टिड श्रेणी को पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया, जो कि सर्वथा अनुचित है।

कर्मचारी की उपरोक्त श्रेणी भविष्य निधि की है, न कि पेंशन की। पेंशन में उपरोक्त दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों का समान अंशदान जाता रहा है। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि सीपीएफसी द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2017 के परिपत्र को निरस्त करके समस्त कर्मचारियों को वास्तविक पेंशन का लाभ दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष:

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और

श्री शरद त्रिपाठी को श्री श्यामा चरण गुप्त द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।